

MOST URGENT

दूरभाष/Phone : 2341677, 2340368
फैक्स/Fax : 0651-2340368
ई-मेल/E-mail : ro-ranchi@ncst.nic.in



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

क्षेत्रीय कार्यालय, राँची
Regional Office, Ranchi

अधिकार क्षेत्र : झारखण्ड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश
Jurisdiction : Jharkhand, Bihar and Uttar Pradesh

14, न्यू ए० जी० को-ऑपरेटिव कॉलोनी
कडरू, राँची - 834002
14, New A.G. Co-operative Colony
Kadru, Ranchi - 834002

2238/R/19
9/9/19
दिनांक: 02.09.2019

संख्या- MA/ 01/ 2019/ STGJH/ DEOTH/ RO-RNC

सेवा में,

1. मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार एवं अध्यक्ष (पदेन), अति कमजोर जनजातीय समूह विकास प्राधिकार, प्रोजेक्ट भवन धुर्वा, राँची-834004, झारखण्ड। ई-मेल: <cs-jharkhand@nic.in>
2. डॉ० इन्दु भूषण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)/ श्री प्रवीण गेदाम, उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dy. CEO) नेशनल हेल्थ एजेंसी (NHA), जीवन भारती बिल्डिंग, 9वां मंजिल, टावर-1, कनाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001, ई-मेल: i.bhushan@gov.in, praveengedam@nhaindia.in
3. मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची, झारखण्ड। ई-मेल: <hlthdept.fdi@gmail.com>
4. उप सचिव सह अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य समाज, चौथा तल्ला, स्वास्थ्य भवन, RCH कैम्पस नामकुम, राँची-834010 झारखण्ड। दूरभाष: 0651-2261166, ई-मेल: <snajharkhand@gmail.com>

विषय: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार की माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसूईया उड़के एवं माननीय सदस्या, श्रीमती माया चिंतामन इवनाते द्वारा दिनांक 14.06.2019 को प्रातः 11.00 बजे राजकीय अतिथिशाला, झारखंड के कॉन्फ्रेंस हाल में आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड प्रदेश द्वारा संचालित अस्पताल PVTG हेल्थ केयर सेंटर, नयानगर, बरकाकाना, रामगढ़, झारखण्ड को शो-कॉज नोटिस दिये बगैर आयुष्मान भारत योजना से निलंबित करने के संबंध में श्री मनोज कुमार अगरिया, प्रदेश अध्यक्ष, झारखण्ड आदिम जनजाति विकास समिति, नयानगर, बरकाकाना, घुटुवा, जिला-रामगढ़, झारखण्ड के अभ्यावेदन की सुनवाई का कार्यवृत्त एवं आयोग की अनुशंसाएं।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसूईया उड़के एवं माननीय सदस्या श्रीमती माया चिंतामन इवनाते के द्वारा दिनांक 14.06.2019 को कृत सुनवाई का कार्यवृत्त और मामले में आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाएं आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि आयोग की अनुशंसाओ पर त्वरित कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (action taken report) आयोग को इस पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर डाक / ई-मेल से प्रस्तुत करें।

भवदीया,

(मीनाक्षी शर्मा)

सहायक निदेशक

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशिष्ट कार्य पदाधिकारी (OSD), महामहिम सुश्री अनुसूईया उड़के, राज्यपाल, राज्यपाल का सचिवालय, राज भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ NIC (NCST की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत दीवानी अदालत की शक्तियों से युक्त एक संवैधानिक निकाय है।
National Commission for Scheduled Tribes is a Constitutional Body with Powers of a Civil Court under Article 338-A of the Constitution of India.

3. उपायुक्त, डीसी ऑफिस , छत्तरमांडु, जिला- रामगढ़, झारखण्ड, पिन – 825101, ई-मेल: dcramgarh@rediffmail.com
संपर्क सूत्र: 06553-230355 (R), 06553-261555 (O), 06553-230455 (F)
4. पुलिस अधीक्षक, डीसी ऑफिस परिसर, छत्तरमांडु, जिला- रामगढ़, झारखण्ड, पिन – 825101 जिला रामगढ़।
ई-मेल: sp-ramgarh@ihpolice.gov.in 06553-231155 (O), 06553-230400 (F), दूरभाष: 9431706113 (M)
5. असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़, ई-मेल: csramgarh@yahoo.co.in,
फोन/ फ़ैक्स: 06553-231472,
6. श्री मनीष मलिक, शाखा प्रबन्धक, नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी, सचीन्द्र सदन, एस.एन. गांगुली रोड, अपर बाजार, राँची, झारखण्ड-
834001, ई-मेल: mk.mallick@nic.co.in, मो. +91 9123610114, फोन- 0651- 220 9746
7. श्री प्रणव कुमार, ब्रांच इंचार्ज, एम.डी.इण्डिया हेल्थ इन्श्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, TPA, वार्ड नं-27, प्रथम तल, होल्डिंग नं-
472/472ए, टौरस टावर, पी.पी.कंपाउंड, मेन रोड के अंदर, राँची, झारखण्ड -834001, ई-मेल: jmsby_mdindia.com, मो.
+91 7410078551, फोन: 0651- 233273
8. श्री मनोज कुमार अगरिया, प्रदेश अध्यक्ष, झारखण्ड आदिम जनजाति विकास समिति, नयानगर, बरकाकाना, घुटुवा, जिला-
रामगढ़, झारखण्ड।



(मीनाक्षी शर्मा)
सहायक निदेशक



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं०: MA/01/2019/STGJH/DEOTH/ RO-RNC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार की माननीय उपाध्यक्षा, सुश्री अनुसूईया उड़के एवं माननीय सदस्या, श्रीमती माया चिंतामन इवनाते द्वारा दिनांक 14.06.2019 को प्रातः 11.00 बजे राजकीय अतिथिशाला, झारखंड के कॉन्फ्रेंस हाल में आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड प्रदेश द्वारा संचालित अस्पताल PVTG हेल्थ केयर सेंटर, नयानगर, बरकाकाना, रामगढ़, झारखण्ड को शो-कॉज नोटिस दिये बगैर आयुष्मान भारत योजना से निलंबित करने के संबंध में श्री मनोज कुमार अगरिया, प्रदेश अध्यक्ष, झारखण्ड आदिम जनजाति विकास समिति, नयानगर, बरकाकाना, घुटुवा, जिला-रामगढ़, झारखण्ड से आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में प्राप्त शिकायत पर संचिका संख्या (F. No.) MA/01/2019/STGJH/DEOTH/ RO-RNC के अंतर्गत कृत सुनवाई का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि : दिनांक 14.06.2019 को प्रातः 11.00 बजे
बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट संलग्न

पृष्ठ-भूमि/ मामले का संक्षिप्त विवरण :

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में दिनांक 01.03.2019 को "आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड प्रदेश द्वारा संचालित अस्पताल PVTG हेल्थ केयर सेंटर, नयानगर, बरकाकाना, रामगढ़, झारखण्ड को शो-कॉज नोटिस दिये बगैर आयुष्मान भारत योजना से निलंबित करने के संबंध में" श्री मनोज कुमार अगरिया, निदेशक, PVTG हेल्थ केयर सेंटर (PHCC) सह प्रदेश अध्यक्ष, झारखण्ड आदिम जनजाति विकास समिति, नयानगर, बरकाकाना, घुटुवा, जिला-रामगढ़, झारखण्ड द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत के अनुसार प्रार्थी द्वारा आदिम जनजाति हेल्थ केयर सेंटर का संचालन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किया जा रहा था परंतु उन्हें दिनांक 27.02.2019 को सोशल मीडिया के माध्यम से उक्त अस्पताल के आयुष्मान भारत योजना से निलंबन की जानकारी प्राप्त हुई। इस विषय में झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी से जानकारी करने पर उन्हें पता चला कि सोसाइटी द्वारा उनके अस्पताल को दिनांक 07.02.2019 को ई-मेल द्वारा शो-कॉज नोटिस भेजा गया था। परंतु उन्हें यह शो-कॉज नोटिस प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि सोसाइटी द्वारा उन्हें दिखाये गए ई-मेल में उनके अस्पताल का ई-मेल आई.डी. गलत दर्ज किया गया था। इस कारण अस्पताल प्रबंधन को झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी द्वारा भेजे गए शो-कॉज की जानकारी ई-मेल से अथवा किसी अन्य संचार साधन से भी प्राप्त नहीं हुई। इसी शो-कॉज नोटिस का स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने की वजह से आदिम जनजाति हेल्थ केयर सेंटर को आयुष्मान भारत योजना से निलंबित कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका में अस्पताल और इस मामले से संबंधित सभी दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए।

चूंकि यह मामला आदिम जनजाति वर्ग के संदर्भ में स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सेवा से संबंधित था, अतः आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण किया गया और आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक MA/01/2019/STGJH/DEOTH/ RO-RNC दिनांक 05.03.2019 द्वारा इस संदर्भ में मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार सह अध्यक्ष (पदेन), अति कमजोर समूह विकास प्राधिकार; उप सचिव सह अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी एवं मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार को निम्नलिखित बिन्दुओं पर त्वरित जाँच और कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी :

1. इस प्रकरण में अस्पताल प्रबंधन द्वारा शो-कॉज नोटिस का स्पष्टीकरण दिये जाने के लिए आदिम जनजाति हेल्थ केयर सेंटर को झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी द्वारा जारी शो-कॉज नोटिस संख्या-36, दिनांक-07.02.2019 की प्रतिलिपि

Amin

पुनः प्रदान प्रदान करते हुए स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाय तथा पूर्व में भेजे गए शो-कॉज संबंधी ई-मेल एवं संबन्धित अधिकारिक पत्र संबंधी दस्तावेज आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाय।

2. उपरोक्त मामले की निष्पक्षता से त्वरित जाँच करते हुए उपरोक्त अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पुनः समविष्ट करने के संबंध में श्री मनोज अगरिया द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले शो-कॉज के स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जाय।
3. उपरोक्त अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निलंबन से पूर्व तक जो भी कार्य किया गया है उससे संबन्धित धनराशि का भुगतान संबंधी माँग पर अस्पताल द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों पर यथोचित दस्तावेजों के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

उपरोक्त बिन्दुओं पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही करते हुए मामले से सम्बन्धित सभी मूल तथ्य तथा वर्णित बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही की जानकारी सहित एक विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को 15 दिनों का समय दिया गया।

पुनः श्री अगरिया द्वारा पत्र दिनांक 25.03.2019 के माध्यम से यह आयोग के संज्ञान में यह लाया गया कि रामगढ़ जिले में PVTG अस्पताल के संदर्भ में सिविल सर्जन कार्यालय और जिला शिकायत निवारण समिति के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं है और इसके बिना ही उनके अस्पताल का निलम्बन किया गया। प्रमाण के रूप में उन्होंने सिविल सर्जन, रामगढ़ से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त पत्रांक 214 दिनांक 11.03.2019 की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें वर्णित है कि "जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, रामगढ़ से प्राप्त पत्र से यह स्पष्ट होता है कि PVTG हेल्थ केयर सेंटर का कोई शिकायत वर्ष 2017 से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (पत्रांक 194 दिनांक 11.03.2019 संलग्न) और आयुष्मान भारत योजना से संबन्धित PVTG हेल्थ केयर सेंटर का कोई शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पताल का सस्पेंशन लेटर प्राप्त हुआ है।"

उन्होंने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उच्च पदाधिकारियों पर अपने पद का दुरुपयोग करने तथा झारखंड के आदिम जनजाति समुदाय के ऊपर अत्याचार करने का आरोप लगाया। आरोप-सिद्धि हेतु उनके द्वारा मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत इस मामले में की गई शिकायत के उत्तर में सिविल सर्जन, रामगढ़ के पत्रांक 238 दिनांक 18.03.2019 भी संलग्न किया गया जिसमें मुख्यमंत्री जनसंवाद के नोडल पदाधिकारी को यह सूचित किया गया है कि "मामले में गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा जाँच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया कि PVTG हॉस्पिटल के निलंबन की कार्यवाही राज्य स्तर से की गयी है एवं जिला स्तर पर सिविल सर्जन कार्यालय को केवल पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है।"

राज्य सरकार की ओर से उपरोक्त मामले में आयोग के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 05.03.2019 के अनुसरण में दिनांक 05.04.2019 को उप सचिव सह, अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी नामकुम, राँची, झारखण्ड पत्रांक- 09(शि०) MSBY-01/2018-109, दिनांक-03.04.2019 के द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ जिसमें सूचित किया गया कि "दिनांक 22.01.2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), नई दिल्ली की एक उच्च स्तरीय टीम द्वारा इस अस्पताल में जाँचोंपरांत कुछ विसंगतियाँ पायी गयी थीं, जो कि अस्पताल को अवगत करा दी गयी थी। इन्हीं विसंगतियों के आधार पर NHA के मुख्यकार्यकारी निदेशक के पत्र सं० 18018-05-2019-NHA के आलोक में अस्पताल को निलम्बित किया गया। अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पुनः समविष्ट करने के संबंध में और अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निलंबन से पूर्व तक किये गये कार्य से संबन्धित धनराशि के भुगतान के संबंध में सूचित किया गया कि इसकी गहन जाँच के लिए NHA को इस अस्पताल में इलाज प्राप्त सभी लाभुकों का पता एवं संपर्क न सहित सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त सूची प्राप्त होते ही इसकी जाँच की जायगी। जिन दावों को सही पाया जायगा उन दावों का भुगतान करने का निर्देश बीमा कंपनी को दिया जायगा, अपितु अस्पताल से किए गए एकरारनामा के आधार पर जिन दावों को गलत पाया जायगा, उन दावों का अस्पताल से जुर्माना वसूला जा सकता है। यह भी सूचित किया गया कि आदिम जनजातियों को समुचित इलाज योजनांतर्गत सूचीबद्ध अन्य अस्पताल रामगढ़, हजारीबाग के अलावा राज्य के अन्य जिलों में मौजूद हैं।" राज्य सरकार के द्वारा उत्तर में उल्लिखित किसी भी दस्तावेज की प्रति आयोग को नहीं भेजी गयी थी। आयोग द्वारा उक्त उत्तर की प्रतिलिपि अस्पताल प्रबन्धन को सूचनार्थ एवं यथा संभव सबूतों के साथ प्रत्युत्तर/आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए दी गयी।

अस्पताल निदेशक श्री मनोज कुमार अगरिया के पत्र दिनांक 09.04.2019 द्वारा झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 03.04.2019 पर आपत्ति जताते हुए आयोग के संज्ञान में लाया गया कि JSAS द्वारा उद्धरित किए गए NHA के पत्रांक की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। अस्पताल को भी NHA टीम की जाँच के उपरांत तथाकथित विसंगतियों अथवा NHA द्वारा निलंबन के संबंध में जारी में कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अस्पताल में जाँच के उपरांत NHA की जाँच टीम

Anil

द्वारा मीडिया को दिये गए बयानों में कहीं भी PVTG हेल्थ सेंटर के सम्बन्ध में किसी अनिमियता का जिक्र नहीं किया गया और न ही जिला स्तर पर किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कोई शिकायत प्राप्त है। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने न्यूज पेपर कटिंग एवं RTI द्वारा जिलास्तर से RTI द्वारा प्राप्त सूचनायें प्रस्तुत कीं।

उन्होंने यह भी आपत्ति जताई कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, झारखंड सरकार एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक सं. 1622 दिनांक 17.11.2017 द्वारा जारी नियमावली के अनुसार किसी भी प्रकार की शिकायत का निपटारा जिला शिकायत निवारण प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए, जिसका उल्लंघन JSAS द्वारा किया गया है।

उन्होंने यह भी इंगित किया कि मामला आदिम जनजाति वर्ग के स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सेवा से संबन्धित है और प्रश्न किया कि लोक सेवाओं से अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में कितने दिनों में लम्बित दावों के जाँच की प्रक्रिया पूरी कर ली जायगी? उन्होंने JSAS द्वारा आदिम जनजाति समुदाय के स्वास्थ्य, देख भाल एवं संरक्षण हेतु कार्यरत अस्पतालों की जिलावर सूची एवं उनके द्वारा इलाज किए गए PVTG मरीजों की सूची भी मांगी और आयोग से अस्पताल के लंबित दावों का शीघ्र भुगतान कराने का निवेदन किया गया।

पुनः दिनांक 01.06.2019 को श्री अगरिया द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि 'PVTG हेल्थ केयर सेंटर' को झारखण्ड सरकार द्वारा 2 वर्ष के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के अंतर्गत असूचीबद्ध कर दिया गया है और उनका लगभग 27,10,700/- सत्ताईस लाख दस हजार सात सौ रुपया का भुगतान बकाया है। बकाया धनराशि से संबन्धित कागजात आयोग को प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा इस मामले में त्वरित सुनवाई का निवेदन किया गया। अस्पताल के अनुरोध पर आयोग के राँची कार्यालय द्वारा निर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 05.06.2019 के आलोक में इस मामले में अभ्यावेदक को न्याय दिलाने के लिए माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सुनवाई की तिथि 14.06.2019 निर्धारित की गयी और मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के साथ झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी, नेशनल हेल्थ एजेंसी और नेशनल इश्योरेंस के उच्च पदाधिकारियों को सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

सुनवाई का कार्यवृत्त:

“आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड प्रदेश द्वारा संचालित अस्पताल PVTG हेल्थ केयर सेंटर, नयानगर, बरकाकाना, रामगढ़, झारखण्ड को शो-कॉज नोटिस दिये बगैर आयुष्मान भारत योजना से निलंबित करने के संबंध में श्री मनोज कुमार अगरिया, निदेशक, PVTG हेल्थ केयर सेंटर एवं प्रदेश अध्यक्ष, झारखण्ड आदिम जनजाति विकास समिति, नयानगर, बरकाकाना, घुटुवा, जिला-रामगढ़, झारखण्ड द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन पर आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के संबंधित पदाधिकारियों को समसंख्यक पत्रांक दिनांक 05.03.2019 द्वारा मामले में यथोचित कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया गया था। जिसके उत्तर में JSAS से प्राप्त पत्रांक- 09 (शि०)MBSY-01/2018-109 दिनांक 03.04.2019 की प्रति अभ्यावेदक को उपलब्ध कराई गयी थी। अभ्यावेदक द्वारा पत्र दिनांक 03.04.2019 पर आपत्ति जताते हुई प्रत्युत्तर दिनांक 09.04.2019 प्राप्त हुआ। पुनः अभ्यावेदक द्वारा दिनांक 01.06.2019 को यह सूचना दी गई कि झारखण्ड सरकार द्वारा अस्पताल को शो-कोज नोटिस का उत्तर न देने के आधार पर 2 वर्ष के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांतर्गत असूचीबद्ध (De-Empanelled) कर दिया गया है। जिस पर आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.06.2019 के आलोक में इस मामले में अभ्यावेदक को न्याय दिलाने के लिए सुश्री अनुसुईया उड़के, माननीय उपाध्यक्षा एवं श्रीमती माया चिंतामन इवनाते, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची की सहायक निदेशक श्रीमती मीनाक्षी शर्मा एवं आयोग के विधि परामर्शदाता श्री विकास शर्मा के साथ दिनांक 14.06.2019 को प्रातः 11.00 बजे राजकीय अतिथिशाला, झारखंड के कॉन्फ्रेंस हाल में आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड प्रदेश द्वारा संचालित अस्पताल PVTG हेल्थ केयर सेंटर, नयानगर, बरकाकाना, रामगढ़, झारखण्ड को शो-कॉज नोटिस दिये बगैर आयुष्मान भारत योजना से निलंबित करने के संबंध में श्री मनोज कुमार अगरिया, प्रदेश अध्यक्ष, झारखण्ड आदिम जनजाति विकास समिति, नयानगर, बरकाकाना, घुटुवा, जिला-रामगढ़, झारखण्ड के अभ्यावेदन की सुनवाई की गयी। सुनवाई में अभ्यावेदक श्री मनोज अगरिया, निदेशक, PVTG हेल्थ केयर सेंटर, रामगढ़ के साथ आदिम जनजाति विकास समिति के विभिन्न जिलों के सदस्य एवं स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार के उच्च पदाधिकारियों के साथ झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी, नेशनल हेल्थ एजेंसी और नेशनल इश्योरेंस के सक्षम पदाधिकारी भी निर्देशानुसार उपस्थित रहे।

Anur

सभी प्रतिभागियों की विस्तृत सूची संलग्न है (देखें परिशिष्ट)।

अभ्यावेदक/ शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत पक्ष:

दिनांक 14.06.2019 को हुई सुनवाई में सर्वप्रथम अभ्यावेदक श्री मनोज अगरिया, निदेशक, PVTG हेल्थ केयर सेंटर द्वारा आयोग के समक्ष झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य विभाग सहित कल्याण विभाग पर भी PVTG समुदाय के विकास एवं स्वास्थ्य स्थिति के प्रति लापरवाही एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत PVTG हेल्थ केयर सेंटर के द्वेषपूर्ण तरीके से निलंबन एवं शोषण का आरोप लगाते हुए सभी दस्तावेजों सहित निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गए:

श्री अगरिया द्वारा एक प्रकाशित समाचार की प्रति प्रस्तुत करते हुए आयोग के संज्ञान में लाया गया कि झारखण्ड राज्य में आदिम जनजाति समूह की घटती जन संख्या 2001 जनगणना में लगभग 3 लाख 87 हजार थी, जो घटकर जनगणना 2011 में 2 लाख 92 हजार रह गयी। यानि 10 साल में आदिम जनजाति की संख्या 10 हजार प्रति वर्ष के हिसाब से घटी। लगभग एक जनगणना में 95 हजार आदिम जनजाति का मौत होना या विलुप्त होने से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा घोर लापरवाही आदिम जनजाति समूह के प्रति बरती गयी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा आदिम जनजाति विकास प्राधिकार का गठन एवं आदिम जनजाति के लिए सेवा एवं नियुक्तियों में 2% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद भी यहाँ के अधिकारियों एवं पदाधिकारियों द्वारा ही आदिम जनजाति का शोषण किया जा रहा है।

उन्होंने आयोग को यह भी बताया कि झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के सं.सं.०-6/पी०(नई यो०)-16/2016 -159(6) ब दिनांक 29.11.2016 के माध्यम से राज्य योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में झारखण्ड राज्य में आदिम जनजाति (PVTG) समुदाय हेतु विशेष स्वास्थ्य सेवाएँ (Special healthcare package for Primitive Tribes) की योजना के निमित्त कुल 3 करोड़ रुपया स्वीकृति के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा PVTG हेल्थ केयर सेंटर की जाँच के बाद भी किसी भी अस्पताल को आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घोर अनिमित्ततायें बरती गयी और राशि को प्रत्येक वर्ष सरेंडर किया गया या उस राशि को दूसरे बजट में खर्च किया गया।

झारखण्ड सरकार, कल्याण विभाग के आदेश सं. 2129 दिनांक 28.08.2010 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना 10 हजार रुपये तक जिलास्तर से देने का प्रावधान है, लेकिन कल्याण विभाग द्वारा आदिम जनजाति को प्रक्रियागत प्रावधानों की आड़ में इस योजना में शामिल नहीं किया गया है, जिससे इस योजना का लाभ पूरे झारखण्ड में कोई भी आदिम जनजाति समूह नहीं ले पा रहे हैं। इस प्रकार कल्याण विभाग द्वारा भी आदिम जनजाति के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि झारखण्ड राज्य में कल्याण विभाग द्वारा 17 ग्रामीण अस्पताल (मेसो अस्पताल) चलाया जा रहा है, लेकिन एक भी अस्पताल उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल में संचालित नहीं किया गया है जबकि इस प्रमण्डल में आदिम जनजाति अच्छी खासी जनसंख्या में है, जो कि कल्याण विभाग की उपेक्षा को दर्शाता है। उन्होंने मांग रखी कि PVTG अस्पताल, नया नगर, बरकाकाना, रामगढ़ को मेसो अस्पताल का दर्जा दिया जाय जिससे पूरा झारखण्ड राज्य में आदिम जनजाति समूह को संरक्षण एवं स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके एवं आदिम जनजाति की घटती जन संख्या को रोका जा सके।

उन्होंने आयोग से यह भी अनुरोध किया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के फ़ाइल नं. 22040/37/2012-NGO दिनांक 20.03.2015 द्वारा जारी "आदिम जनजाति के विकास हेतु संशोधित योजना" का अक्षरशः पालन करने का निर्देश झारखण्ड सरकार को दिया जाय।

PVTG अस्पताल के निलम्बन और 2 वर्ष के लिए असूचीबद्ध किए जाने संबंधी मामले में अस्पताल का पक्ष रखते हुए श्री अगरिया ने बताया कि राज्य में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति और PVTG समुदाय के प्रति झारखंड सरकार की बेपरवाही को देखते हुए आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा स्वयं के संसाधनों से PVTG अस्पताल का शुभारंभ रामगढ़ में वर्ष 2017 में किया गया। आदिम जनजाति विकास समिति विशेष रूप से आदिम जनजाति के संरक्षण के लिए गठित समिति और सोसाइटी एकट अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है, जो प्रमुखतः झारखंड में कार्यरत है। इस संस्था के प्रतिनिधियों/ कार्यकर्ताओं द्वारा जिला, प्रखण्ड और ग्राम स्तर तक आदिम जनजाति समूह की देख भाल की जाती है।

Anim

PVTG हेल्थ केयर सेंटर आदिम जनजाति द्वारा संचालित झारखंड राज्य का प्रथम अस्पताल है और अस्पताल के अधिकतर स्टाफ विशेषकर नर्सिंग स्टाफ विभिन्न जनजाति समूहों से ही रखें गए है ताकि जनजाति/आदिम जनजाति समूह के मरीज अपनी भाषा में सहजता से उनसे बात कर सके और अपने परेशानी खुलकर बता सकें। आदिम जनजाति के स्वास्थ्य देखभाल हेतु अस्पताल के पास सभी आवश्यक चिकित्सा एवं औद्योगिक पंजीकरण है और इतने पंजीकरण रामगढ़ जिले में वर्तमान में संचालित किसी अन्य अस्पताल के पास नहीं है।

अस्पताल द्वारा झारखंड सरकार की 'आदिम जनजाति विशेष स्वास्थ्य पैकेज योजना' के अंतर्गत फंड के लिए भी आवेदन किया गया था जिसके लिए सिविल सर्जन, रामगढ़ के पत्रांक 217 दिनांक 27.02.2018 द्वारा जिलास्तर पर गठित त्रिसदस्यीय निरीक्षण दल के भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मंतव्य के आधार पर कहा गया है कि 'झारखंड विकास समिति द्वारा स्थापित अस्पताल PVTG हेल्थ केयर सेंटर, नया नगर बरकाकाना, रामगढ़ अस्पताल संचालन हेतु सभी औपचारिकतायें पूरी करता है एवं इसे संचालित किया जा सकता है'।

इसी बीच झारखंड राज्य में 23.09.2018 को आयुष्मान भारत योजना (ABY) का शुभारंभ हुआ और सभी मानकों पर खरा उतरते हुए PVTG अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध हो कर दिनांक 01.10.2018 से कार्य कर रहा है। समिति का आदिम जनजाति समुदाय से ग्रामस्तर तक अच्छा संपर्क होने के कारण इस अस्पताल में रामगढ़ के अलावा आस-पास के अन्य जिलों से भी काफी मरीज इलाज के लिए आते है। इन्हीं कारणों से आयुष्मान भारत योजना (ABY) के अंतर्गत अस्पताल का प्रदर्शन झारखंड में सर्वश्रेष्ठ रहा और झारखंड राज्य को AB-PMJAY के प्रदर्शन में प्रथम स्थान दिलाने में अस्पताल का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जबकि रामगढ़ जिले के कई अन्य अस्पताल आरंभ में इस योजना के तहत एक भी मरीज पंजीकृत नहीं कर सके। इस कथन की पुष्टि में उन्होंने सिविल सर्जन, रामगढ़ द्वारा जारी पत्रांक 359 दिनांक 08.12.2018 आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होने आयोग को बताया कि इन्हीं प्रतिद्वंदी अस्पतालों के प्रभाव में स्थानीय मीडिया द्वारा भी माह अक्टूबर 2018 में अस्पताल को काफ़ी तंग किया गया और लेवी वसूलने का प्रयास किया गया, जिसकी F.I.R. अस्पताल द्वारा रामगढ़ के घुटवा थाना में भी की गई थी, जिसका संज्ञान DC एवं SP, रामगढ़ द्वारा भी लिया गया था जो इस सुनवाई में भी उपस्थित हैं।

उन्होंने आयोग के समक्ष यह भी आशंका जताई कि इन्हीं प्रतिद्वंदी अस्पतालों की झूठे दुष्प्रचार के कारण ही नेशनल हेल्थ एजेंसी (NHA) एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भी इस अस्पताल के कई निरंतर ऑडिट क्रमशः दिनांक 23.11.2018, दिनांक 04.12.2018 और दिनांक 22.01.2019 को किए गए जबकि रामगढ़ जिले से AB-PMJAY योजना में द्वितीय/ तृतीय स्थान पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अथवा किसी भी अन्य सूचीबद्ध अस्पताल का कोई भी ऑडिट नहीं किया गया था। ऑडिट के दौरान जांच टीम द्वारा इंगित किए गए बिन्दुओं पर अस्पताल द्वारा निरंतर सुधार किया गया है और ऑडिट टीम को अस्पताल द्वारा योजना से संबन्धित व्यावहारिक परेशानियों के संबंध में यह फीडबैक भी दिया गया है कि नयी और कम्प्यूटरीकृत योजना होने के कारण सटीक पैकेज बुक करने में समस्या आती है और कई बार संबन्धित (co-related) पैकेज बुक करना पड़ता है, जिससे चिकित्सा दावे के भुगतान में कठिनाई होती है। परन्तु फिर भी आदिम जनजाति हेल्थ केयर सेंटर, नया नगर बरकाकाना, रामगढ़ पर गलत आरोप लगाकर, बिना शो-कोज नोटिस उपलब्ध कराये ही शो-कोज नोटिस का जवाब नहीं दे पाने के आधार पर स्पष्टीकरण का अवसर दिए बिना ही नियमों का उल्लंघन करके बिना अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से निर्लंबित कर दिया गया है और फिर जबरन थोपी गई अनियमितताओं के आधार पर 2 वर्ष के लिए असूचीबद्ध भी कर दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व में अस्पताल द्वारा किये गये चिकित्सा कार्य के लिए लगभग 27,10,700/- (सत्ताईस लाख दस हजार सात सौ रुपये) के बकाया दावों का भुगतान भी नहीं किया गया है।

श्री अगरिया द्वारा आरोप लगाया गया कि स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार एवं संयुक्त सचिव, झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी सह आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अपर कार्यकारी निदेशक श्री अभिषेक श्रीवास्तव शुरू से ही पी. वी. टी. जी. अस्पताल के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाये हुए है और उनके द्वारा लगातार आदिम जनजाति अस्पताल के प्रबंधक का मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण किया जा रहा है और उन्होंने इसकी पुष्टि हेतु दस्तावेजों सहित निम्न तथ्य प्रस्तुत किए :

1. दिनांक 20.11.2018 को एम. डी. इंडिया इन्शोरेंस कंपनी के पदाधिकारी द्वारा अस्पताल के लगभग 56 दावों के भुगतान को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी शिकायत पत्रांक संख्या 305/2018 दिनांक 03.12.2018 के माध्यम से कार्यकारी निदेशक,

Amim

- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, झारखंड सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को दी थी जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
2. दिनांक 22.01.2019 को NHA एवं SHA टीम के द्वारा पी. वी. टी. जी. हेल्थ केयर सेन्टर का निरीक्षण किया गया जिसकी ऑडिट रिपोर्ट में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी गई थी। इसकी पुष्टि में उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट एवं प्रकाशित समाचार पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की।
 3. झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत निलंबन पत्रांक दिनांक 26.02.2019 में पत्र संख्या 36, दिनांक 07.02.2019 द्वारा जारी शो-कॉउज नोटिस का उत्तर न दिये जाने के आधार पर पी. वी. टी. जी. हेल्थ केयर सेन्टर का AB-PMJAY योजना से निलंबन कर दिया गया, जबकि शो-कॉउज नोटिस सम्बन्धी पत्र संख्या 36 दिनांक 07.02.2019 अस्पताल को ई-मेल अथवा किसी भी माध्यम से प्राप्त ही नहीं हुआ, तो जवाब कैसे प्रस्तुत किया जा सकता था? इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई रिमाइंडर लेटर भी नहीं जारी किया गया। इस प्रकार अस्पताल के साथ छल करते हुए झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तानाशाह नीति अपनाते हुए पी. वी. टी. जी. हेल्थ केयर सेन्टर को निलंबन पत्र निर्गत किया गया।
 4. अस्पताल के पत्रांक PHCC/210/2019 दिनांक 01.03.2019 द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण (NHA), नई दिल्ली, पत्रांक PHCC/204/2019 दिनांक 01.03.2019 द्वारा स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को एवं पत्रांक PHCC/204/2019 दिनांक 01.03.2019 द्वारा उप सचिव-सह-अपर कार्यकारी निदेशक झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी, झारखंड सरकार को शो-कॉउज नोटिस प्राप्त न होने के कारण जवाब न दिये जाने की सूचना देते हुए पुनः शो-कॉउज नोटिस उपलब्ध कराने की माँग की गयी थी, परन्तु किसी भी आवेदन पर सरकार के किसी भी प्राधिकारी द्वारा कोई भी न्यायसंगत अथवा उचित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने सभी अभ्यावेदनों की प्रतियाँ आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।
 5. झारखंड आदिम जनजाति विकास समिति के पत्रांक JAJVS/106/2019 दिनांक 06.03.2019 के माध्यम से जन सूचना पदाधिकारी, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी, नामकुम, राँची से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑडिट रिपोर्ट की छाया प्रति तथा जाँच-टीम के पदाधिकारियों के नाम, पदनाम और योग्यता संबंधी विवरण भी मांगा गया। झारखंड आदिम जनजाति विकास समिति के पत्रांक संख्या JAJVS/105/2019 दिनांक 06.03.2019 द्वारा मुख्य परियोजना प्रबंधक, आयुष्मान भारत योजना के एम. डी. इंडिया हेल्थ इंशोरेंस प्राइवेट लिमिटेड, झारखंड से भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑडिट टीम एवं रिपोर्ट, रोगियों के विवरण तथा दावा भुगतान के संबंध में भी सूचना माँगी गई थी, परन्तु कोई भी सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गयी। सभी RTI आवेदन पत्रों की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी।
 6. अस्पताल के पत्रांक PHCC/217/2019 दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्रधान मंत्री कार्यालय में भी मामले की शिकायत PMO कम्प्लेंट नं. PMOPG/D/2019/0091578 दिनांक 05.03.2019 के अंतर्गत दर्ज की गई, परन्तु PMO के निर्देश पर भी राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आवेदन पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।
 7. इस मामले में अस्पताल के पत्रांक PHCC/207/2019 दिनांक 01.03.2019 द्वारा कल्याण मंत्री को की गई शिकायत पर सरकार के विशेष सचिव, अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के सचिका संख्या 05/क. चि./31/2002-क०-1860 दिनांक 30.05.2019 द्वारा भी संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग को समुचित कार्यवाही के लिए पत्र निर्गत किया गया, परन्तु इस पर किसी प्रकार की समुचित कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार की ओर से नहीं की गई। सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये गए।
 8. इस मामले में अस्पताल के पत्रांक PHCC/202/2019 दिनांक 01.03.2019 द्वारा मुख्य सचिव सह पदेन अध्यक्ष, आदिम जनजाति विकास प्राधिकार, झारखंड सरकार को भी शिकायत की गई परन्तु उनके द्वारा अग्रेषित पत्र पर भी समुचित कानून संगत कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार द्वारा नहीं की गई। सभी प्रतियाँ प्रस्तुत की गई।

Anurag

9. अस्पताल के पत्रांक PHCC/208/2019 दिनांक 01.03.2019 के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री जनसंवाद में भी यह मामला विचाराधीन है। परन्तु जनसंवाद में जाँच के उपरांत निर्णय हुए बिना ही झारखंड आरोग्य सोसाइटी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पी. वी. टी. जी. अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना से असूचीबद्ध (De-empanelled) भी कर दिया गया जबकि मामला जाँच हेतु जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी के संज्ञान में था। पुष्टि हेतु जिला जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
10. अस्पताल प्रबंधन द्वारा पत्रांक संख्या PHCC/2016/2019 दिनांक 01.03.2019 के माध्यम से मामले की शिकायत सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, झारखंड को की गई। आयोग ने संज्ञान लेते हुए पत्रांक MA/01/2019/STGJH/DEOTH/RO-RNC दिनांक 05.03.2019 के द्वारा मुख्य सचिव झारखंड सरकार; उपसचिव अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक, झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी; एवं मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार से शो- कॉज उपलब्ध कराने के साथ अस्पताल को पुनः AB-PMJAY योजना में पुनः समाविष्ट करने तथा बकाया दावों के भुगतान सम्बन्धी तीन बिन्दुओं पर तथ्यपरक रिपोर्ट मांगी गयी, जिसका आयोग को संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। आयोग को भी शो कॉज नोटिस की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी और तानाशाही रवैया अपनाते हुए झारखंड आरोग्य सोसाइटी द्वारा पी. वी. टी. जी. हेल्थ केयर सेन्टर को दिनांक 28.05.2019 को आयुष्मान भारत योजना से 2 वर्ष के लिए असूचीबद्ध (De-Empanelment) कर दिया गया, जिसकी सूचना अस्पताल को दिनांक 1 जून 2019 को समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार से प्राप्त हुई। समाचार पत्र का कटिंग एवं निलंबन पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई।
11. इस संबंध में सिविल सर्जन कार्यालय, रामगढ़ के पत्रांक 214 दिनांक 11.03.2019 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार पी. वी. टी. जी. अस्पताल का कोई शिकायत जिला स्तर पर नहीं है और ना ही आयुष्मान भारत योजना के संचालन में कोई शिकायत दर्ज की गई है। कथन की पुष्टि में पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। इस प्रकार अस्पताल का निलंबन तथा असूचीबद्ध किया जाना न्यायसंगत नहीं है।
12. इस योजना के बेहतर संचालन के लिए आदिम जनजाति विकास समिति अभी काफी कर्ज में डूब गयी है। झारखंड आरोग्य सोसाइटी द्वारा लगभग 27 लाख 10 हजार 7 सौ रुपये का भुगतान अस्पताल को किया जाना बकाया है, जिस कारण अस्पताल प्रबंधन वित्तीय संकट से जूझ रहा है।
13. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के नोटिस के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार द्वारा यथोचित कार्रवाई नहीं की गई है। न तो शो कॉज नोटिस उपलब्ध कराया गया, न ही बकाया भुगतान नहीं किया गया और न ही निलंबन और असूचीबद्ध करने संबंधी आदेश को निरस्त किया गया।
- उपरोक्त तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए श्री अगरिया ने आयोग को अवगत कराया कि इस तरह स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा आदिम जनजाति समूह द्वारा संचालित अस्पताल के प्रति द्वेषपूर्ण एवं अत्याचार पूर्ण कार्यवाही की गयी है।
- श्री अगरिया ने सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष मांग रखी कि-
1. पी. वी. टी. जी. अस्पताल को पुनः आयुष्मान भारत योजना में समाविष्ट किया जाए।
 2. बकाया दावा राशि रूपए 27,10,700/- (लगभग) का भुगतान यथाशीघ्र किया जाए।
 3. आदिम जनजाति समूह पर ध्यान नहीं देने वाले पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने की अनुशंसा राज्य सरकार एवं भारत सरकार को दिया जाए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं किया जाए।
 4. इस प्रकरण में जिन भी पदाधिकारियों को दोषी पाया जाय, उन्हें पी. वी. टी. जी. अस्पताल की क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया जाए एवं उनके विरुद्ध SC/ST अत्याचार निवारण के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किया जाए जिससे भविष्य में जनजातियों पर शोषण और अत्याचार न हो और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को झारखंड राज्य में सफलता पूर्वक संचालन किया जा सके।

Anuim

सरकार द्वारा प्रस्तुत पक्ष:

सुनवाई के दौरान श्री सागर वाही, उप महाप्रबंधक (वित्त), नेशनल हेल्थ ऐजेन्सी, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आयुष्मान भारत के पोर्टल पर किसी भी अस्पताल के संदर्भ में आयु, लिंग, रोग, विशेषज्ञता, अन्तर-जनपदीय दावे तथा प्रतिदिन मरीजों की संख्या के आधार पर ट्रिगर्स चिन्हित किए जाते हैं जिसके आधार पर अस्पताल का मेडिकल ऑडिट हेतु दौरा किया जाता है और योजना के विषय में सभी हिस्सेदारों जैसे थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPAs), इश्योरेंस कंपनी, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी (SHA), सम्बंधित अस्पताल तथा लाभार्थियों से फीडबैक एकत्र किया जाता है। इसी क्रम में NHA के पोर्टल पर प्राप्त ट्रिगर्स के आधार पर PVTG अस्पताल में NHA और इश्योरेंस कंपनी द्वारा ऑडिट दौरे किए गए और फीडबैक प्राप्त किया गया। इस दौरान चिन्हित बिन्दुओं से झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी-JSAS (राज्य हेतु निर्धारित SHA) को अवगत कराया गया था, जिस पर JSAS द्वारा अस्पताल को शो कॉज निर्गत कर अस्पताल का पक्ष जानने के बाद NHA को अनुशंसा की जानी थी। अस्पताल में प्रथम दृष्टया मेडिकल ऑडिट टीम द्वारा अवलोकित किए गए बिन्दुओं के आधार पर सरकार के धन का अपव्यय रोकने के लिए NHA द्वारा विस्तृत जाँच पूर्ण होने तक अस्पताल के अस्थायी निलंबन की अनुशंसा NHA के अर्ध-सरकारी पत्रांक (D.O. No.) 18018/05/2019-NHA दिनांक 20.02.2019 द्वारा की गयी थी।

आयोग द्वारा शो कॉज उपलब्ध कराये बिना अस्थायी निलंबन की अनुशंसा करने के संबन्ध में प्रश्न पूछे जाने पर उन्होने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शो कॉज प्रदान करने और निलंबन पत्र जारी करने का दायित्व JSAS का है और इसमें NHA द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। राज्य सरकार की ही ज़िम्मेदारी है कि वह अस्पताल को शो कॉज जारी करना और उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे और उसे यह भी अधिकार है कि वह शो कॉज के उत्तर के आलोक में आरोपों को निरस्त कर दे अथवा आरोपों की पुष्टि होने पर अस्पताल का निलंबन/ असूचीबद्ध करने का निर्णय ले और सम्बंधित प्रक्रिया पूर्ण करे।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सरकार के उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची सह अपर कार्यकारी निदेशक, झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी (JSAS) ने सरकार का पक्ष रखते हुए पत्रांक- 09(शि०) MSBY-01/2018-220, दिनांक-13.06.2019 के माध्यम से लिखित उत्तर सभी सम्बंधित दस्तावेज तथा शो कॉज सम्बंधी समसंख्यक पत्रांक 36 दिनांक 13.06.2019 को संलग्न करते हुए आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होने सूचित किया कि NHA की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही PVTG अस्पताल को JSAS के पत्रांक 36 दिनांक 07.02.2019 द्वारा शो कॉज निर्गत किया गया था जिसका उत्तर प्राप्त न होने पर अस्पताल को निलंबित किया गया था। इस संदर्भ में NHA तथा बीमा कंपनी द्वारा चिकित्सा जाँच कर JSAS को सौंपे गए प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी और मार्ग दर्शिका के अनुरूप चिकित्सा कार्यों का अनुपालन न करने एवं गंभीर अनियमितता बरतने के कारण अस्पताल को JSAS के पत्रांक 09(शि०)MSBY-01/2018-166 दिनांक 28.05.2019 द्वारा तत्काल प्रभाव से AB-PMJAY योजना से 2 वर्ष के लिए असूचीबद्ध किया गया है।

शो कॉज उपलब्ध कराने के संबन्ध में आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होने कहा कि शो कॉज अस्पताल को ई-मेल से भी भेजा गया था और मांगे जाने पर दस्ती भी दिया गया। परन्तु इस बात की पुष्टि में वह आयोग के समक्ष कोई साक्ष्य जैसे कि ई-मेल का प्रिंट-आउट अथवा कोई रिसीविंग आदि प्रस्तुत नहीं कर सके। वह यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि इस सुनवाई के पूर्व मार्च में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा मांगे जाने पर भी विभाग द्वारा क्यों शो-कॉज प्रस्तुत नहीं किया गया? आयोग द्वारा द्वितीय/ तृतीय शो कॉज अथवा स्मरण पत्र निर्गत किए जाने के विषय में पूछने पर उन्होंने बताया कि JSAS द्वारा इस मामले में कोई द्वितीय/ तृतीय शो कॉज अथवा स्मरण पत्र निर्गत नहीं किया गया। बकाया दावों के भुगतान के संदर्भ में आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उन्होने कहा कि भुगतान का कार्य बीमा कंपनी का है, उनके प्रतिनिधि जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पर श्री मनीष मालिक, शाखा प्रबन्धक, नेशनल इश्योरेंस, राँची द्वारा सूचित किया गया कि NHA के मेडिकल ऑडिट रिपोर्ट तथा JSAS की कार्यवाही के आधार पर भुगतान रोका गया है। JSAS द्वारा भुगतान का आदेश मिलने पर ही भुगतान नेशनल इश्योरेंस, राँची द्वारा किया जा सकता है।

आयोग के अवलोकन एवं अनुशंसाएं :

मामले में सभी पक्षों को की बातों को ध्यान में रखते हुए सुश्री अनुसूईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष द्वारा सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जनजाति विशेष कर आदिम जनजाति के प्रति इस प्रकार का शोषण एवं द्वेषपूर्ण बर्ताव न किया जाय। एक आदिम जनजाति समूह द्वारा अस्पताल संचालित

Amir

किया जाना ही अपने आप में बड़ी बात है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। यदि संचालन में कोई कमी/गलती पायी जाती है तो इसका कारण जानने और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। राज्य में आदिम जनजाति की घटती जन संख्या, स्वास्थ्य की खराब स्थिति और स्वास्थ्य अवसंरचना (infrastructure) की कमी को देखते हुए अनुसूचित जनजाति/ आदिम जनजाति द्वारा संचालित इस प्रकार के अस्पतालों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के अस्पतालों से फीडबैक प्राप्त के अनुसार उनकी समस्याओं को दूर करने और कार्य-कुशलता बढ़ाने हेतु पर्याप्त सहयोग एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

सुनवाई के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर सभी संलग्न दस्तावेजों और शो कॉज नोटिस दिनांक 07.02.2019 की प्रति के साथ अस्पताल प्रबंधन को माननीय उपाध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार उपलब्ध कराया गया। अस्पताल निदेशक श्री मनोज अग्रिया द्वारा दिनांक 11.07.20019 को शो कॉज दिनांक 07.02.2019 का उत्तर/ स्पष्टीकरण के साथ ही राज्य सरकार के पत्र दिनांक 13.06.2019 द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत लिखित पक्ष पर अस्पताल की आपत्ति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, रांची को प्रस्तुत की गयी है। अस्पताल प्रबंधन एवं JSAS द्वारा अब तक प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के निरीक्षण के उपरांत आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय रांची द्वारा इस मामले में निम्नलिखित अवलोकन एवं तथ्य आयोग मुख्यालय को प्रस्तुत किये गए हैं:

1. आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी (JSAS) द्वारा इस बात की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि PVTG अस्पताल को स्पष्टीकरण हेतु निर्गत शो कॉज नोटिस संबंधी JSAS के पत्रांक 36 दिनांक 07.02.2019 की प्रति ई-मेल अथवा अन्य किसी माध्यम से PVTG अस्पताल को भेजी गयी या उपलब्ध कराई गयी।
2. JSAS के पदाधिकारियों द्वारा सुनवाई में यह भी स्वीकार किया गया है कि अस्पताल को कोई द्वितीय या तृतीय शो कॉज स्मरण पत्र नहीं निर्गत किया गया है। जबकि AB-PMJAY के सर्विस एग्रीमेंट के अनुसार असूचीबद्ध करने से पूर्व दूसरा शो कॉज नोटिस जारी किया जाना चाहिए।
3. JSAS द्वारा प्रस्तुत की गयी AB-PMJAY गाइडलाइन के अनुसार तीसरी बार दोषी पाये जाने पर ही असूचीबद्ध किए जाने का प्रावधान है। परन्तु PVTG अस्पताल को पहले ही आरोप पर मात्र एक ऐसे शो कॉज का उत्तर प्राप्त न होने के कारण JSAS द्वारा असूचीबद्ध कर दिया गया है, जो अस्पताल को उत्तर देने के लिए निर्धारित अवधि में अथवा निलंबित/ असूचीबद्ध करने के पूर्व JSAS द्वारा उपलब्ध ही नहीं कराया गया जिससे कि अस्पताल समयानुसार अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका।
4. निलंबन के उपरांत अस्पताल द्वारा आयोग (NCST) को की गई शिकायत के संज्ञान में आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस संख्या MA/01/2019/STGJH/DEOTH/RO-RNC दिनांक 05.03.2019 के उत्तर में भेजे गये JSAS के पत्रांक:- 09(शि०) MSBY-01/2018-109 दिनांक 03.04.2019 के साथ भी शो कॉज नोटिस दिनांक 07.02.2019 की प्रति आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गयी और अस्पताल को योजना में पुनः समाविष्ट करने तथ लंबित दावों के भुगतान पर एक माह का समय बिताने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही JSAS द्वारा नहीं की गई। बल्कि अस्पताल को बिना उचित प्रक्रिया अपनाए असूचीबद्ध कर दिया गया। JSAS का यह रवैया अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति उदासीनता पूर्ण है।
5. इसके अतिरिक्त JSAS द्वारा प्रस्तुत पत्रांक 13.06.2019 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत यह नोट किया गया है कि उपलब्ध कराये गए NHA के केस विवरण के अनुसार कुल 36 चिकित्सा दावों में NHA द्वारा निर्धारित प्रावधानों पर उल्लंघन अंकित किया गया, परन्तु सुनवाई के दौरान JSAS द्वारा जाँच के नाम पर इनमें से कुल 19 मरीजों के माह अप्रैल 2019 लिए गए बयान की प्रति आयोग को प्रस्तुत की गयी। इनमें से 2 बयान ऐसे भी है जिनका नाम NHA द्वारा दी गई AB-PMJAY के अंतर्गत चिकित्सारत रोगियों की लिस्ट में अंकित नहीं है। परन्तु बिना किसी ठोस आधार के मात्र 17 दावों पर रोक लगाने के बजाय अस्पताल द्वारा निलंबन के पूर्व दी गई सेवा में से बकाया सभी 376 दावों के लिए रू० 27,10,700/- का भुगतान अभी तक सरकार द्वारा अस्पताल को नहीं किया गया है। इससे अभ्यावेदक को आर्थिक हानि एवं मानसिक त्रास हुआ है।
6. AB-PMJAY की प्रक्रिया के अनुसार अस्पताल को असूचीबद्ध करने के लिए कुल 6 स्टेप की प्रक्रिया है परन्तु JSAS द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया और सीधे स्टेप 2 एवं 3 के तहत कामचलाऊ कार्यवाही करके पहले ही आरोप में स्टेप 6 को लागू करके अस्पताल को असूचीबद्ध किए जाने हेतु पत्र जारी कर दिया गया। यह न्याय संगत नहीं है।

Ami

7. AB-PMJAY के नियमानुसार निलंबन के एक माह के भीतर ही आरोपों की पुष्टि के संबंध में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जानी चाहिए। परन्तु प्रकरण में दिनांक 26.02.2019 को अस्पताल का निलंबन किया गया, रोगियों के बयान अप्रैल 2019 में लिए गए और 28.05.2019 को अस्पताल को असूचीबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार प्रक्रिया में अधिक समय लगाकर अस्पताल के त्रुटिहीन दावों को भी अकारण लंबित रखा गया जबकि दावा निस्तारण की गाइडलाइन के अनुसार सभी दावों का निस्तारण नियमानुसार 15 दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए अन्यथा नियम के अनुसार 15 दिन से अधिक की देरी पर ट्रस्ट/बीमा कंपनी द्वारा दावे की धनराशि के 1% प्रति सप्ताह की दर से अस्पताल को भुगतान किया जाना चाहिए।
8. JSAS द्वारा प्रस्तुत सभी रोगियों के बयान में स्पष्ट कथन है कि वह किसी न किसी बीमारी के कारण ही अस्पताल गए थे और उनका इलाज अस्पताल द्वारा किया गया था। अस्पताल पर गोल्डन कार्ड जारी करने हेतु कुछ मरीजों से 50/- रुपये की धनराशि लेने के और एक मामले में अल्ट्रासाउंड के लिए 700/- रुपये लेने का आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों पर अस्पताल ने लिखित में दृढ़ता पूर्वक खंडन कराते हुए स्पष्ट कहा है कि अस्पताल मुफ्त में ही गोल्डन कार्ड जारी करता है। परन्तु उनके अस्पताल के समीप राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त CSC भी है जहां से कुछ मरीज पैसे देकर दस्तावेज की सुरक्षा की दृष्टि से प्लास्टिक का गोल्डन कार्ड बनवाते हैं, जिसका अस्पताल से कोई संबंध नहीं है। AB-PMJAY में प्राथमिक स्तर पर लेवल -1 के अस्पताल के रूप में रजिस्टर्ड होने के कारण अल्ट्रासाउंड एवं अन्य डायग्नोस्टिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण एक रोगी ने अस्पताल के बाहर से अल्ट्रासाउंड कराया था जिसका भुगतान रोगी ने स्वयं किया था। इस स्पष्टीकरण के आलोक में यह प्रतीत होता है कि आरोपों की पुष्टि हेतु NHA+SHA की जांच-टीम द्वारा धन संबंधी आरोपों पर रोगियों से गहन पूछ-ताछ नहीं की गयी और लेन-देन के विवरण को ठीक से जानने का प्रयास भी नहीं किया गया। यहीं नहीं विवादित दावों से संबंधित सभी रोगियों के बयान भी NHA/SHA द्वारा आयोग को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः प्रतीत होता है कि बिना आरोपों को पुख्ता किए ही JSAS द्वारा अस्पताल को असूचीबद्ध करने की कार्यवाही की गयी।

इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि JSAS द्वारा PVTG अस्पताल को निलंबित / असूचीबद्ध करने के लिए AB-PMJY द्वारा निर्धारित प्रावधानों का मनमाने तरीके से उपयोग/ उल्लंघन किया गया है और PVTG समुदाय द्वारा संचालित इस अस्पताल के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण, तंग करने वाला वाद एवं दांडिक यह अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित की गई है जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत गम्भीर अपराध है। अधिनियम के अनुसार "यदि कोई लोक सेवक होते हुए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।"

इन तथ्यों के आलोक में आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार को यह अनुशंसा की जाती है कि-

1. PVTG हेल्थ केयर सेंटर का निलंबन रद्द करके अस्पताल को आयुष्मान योजना के अंतर्गत पुनः एवं समविष्ट करने एवं योजना के अंतर्गत चिकित्सा दावे से संबन्धित लंबित धन राशि का भुगतान करने की दिशा में यथाशीघ्र ठोस सकारात्मक कार्यवाही की जाय।
2. JSAS द्वारा अस्पताल के 300 से अधिक दावों के लगभग 27 लाख रुपये से अधिक के भुगतान को गलत तरीके से अकारण 15 दिन से अधिक लंबित रखा गया है जबकि नियमानुसार मात्र कुछ प्रश्नगत चिकित्सा दावों के भुगतान पर ही रोक लगाई जानी चाहिए थी, जिससे अस्पताल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी सुविधा के संचालन में बाधा पहुँची है। अतः JSAS एवं नेशनल इश्योरेंस को आदेश दिया जाता है कि AB-PMJAY की दावा निस्तारण गाइडलाइन के अनुसार सभी सही दावों के भुगतान में 15 दिन से अधिक की देरी के लिए अस्पताल को लंबित धनराशि के 1% प्रति सप्ताह की दर से वास्तविक भुगतान की तिथि तक पेनल्टी का भी यथाशीघ्र भुगतान किया जाय।

यदि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा ढिलाई बरतने एवं पुनः अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति द्वेषपूर्ण अथवा तंग करने वाली कार्यवाही की जानकारी आयोग को प्राप्त होती है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए उच्चाधिकारियों को "समन" जारी कर सकता है।

Amir

इसके साथ ही दोषी पदाधिकारियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत दंडित करने की अनुशंसा भी आयोग द्वारा की जा सकती है।
उपरोक्त बिन्दुओं पर स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार की गयी कार्यवाही की जानकारी सहित एक विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

इस कार्यवृत्त के प्राप्त होने के पश्चात उपरोक्त बिन्दुओं पर स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार की गयी कार्यवाही की जानकारी सहित एक विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर आयोग के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

Aniy

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं०: MA/01/2019/STGJH/DEOTH/ RO-RNC

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार की माननीय उपाध्यक्ष, सुश्री अनुसूइया उइके, एवं माननीय सदस्या, श्रीमती माया चिंतामन इवनाते द्वारा दिनांक 14.06.2019 को प्रातः 11.00 बजे राजकीय अतिथिशाला, झारखंड के कॉन्फ्रेंस हाल में आदिम जनजाति विकास समिति झारखंड प्रदेश द्वारा संचालित अस्पताल PVTG हेल्थ केयर सेंटर, नयानगर, बरकाकाना, रामगढ़, झारखण्ड को शो-कॉज नोटिस दिये बगैर आयुष्मान भारत योजना से निलंबित करने के संबंध में श्री मनोज कुमार अगरिया, प्रदेश अध्यक्ष, झारखण्ड आदिम जनजाति विकास समिति, नयानगर, बरकाकाना, घुटुवा, जिला-रामगढ़, झारखण्ड से आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, राँची में प्राप्त शिकायत पर संचिका संख्या (F. No.) MA/01/2019/STGJH/DEOTH/ RO- RNC के अंतर्गत कृत सुनवाई में उपस्थित आयोग के माननीय सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं केंद्र/ राज्य सरकार के अधिकारियों एवं अभ्यावेदक के पक्ष के प्रतिनिधियों की सूची निम्न प्रकार है:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य एवं वरिष्ठ पदाधिकारी:

1. सुश्री अनुसुइया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली (दर्जा राज्य मंत्री भारत सरकार)।
2. श्रीमती माया चिंतामन इवानते, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली (दर्जा भारत सरकार के सचिव)।
3. श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, कडरू, राँची (अधिकार क्षेत्र: झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश)।
संपर्क सूत्र: 0651- 2341677 (O), 2340368 (F), ई-मेल: ro-ranchi@ncst.nic.in
4. श्री विकास कुमार शर्मा, विधि परामर्श दाता, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

अभ्यावेदक पक्ष के प्रतिनिधि :

1. श्री मनोज कुमार अगरिया, निदेशक, PVTG हेल्थ केयर सेंटर, रामगढ़ सह प्रदेश अध्यक्ष, झारखण्ड आदिम जनजाति विकास समिति, नयानगर, बरकाकाना, घुटुवा, जिला-रामगढ़, झारखण्ड।
2. श्री मुरारी अगरिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष, झारखण्ड आदिम जनजाति विकास समिति, नयानगर, बरकाकाना, घुटुवा, जिला-रामगढ़, झारखण्ड।
3. श्री लालजी अगरिया, प्रदेश सचिव, झारखण्ड आदिम जनजाति विकास समिति, नयानगर, बरकाकाना, घुटुवा, जिला-रामगढ़, झारखण्ड।
4. श्री दिनेश परहैया, सदस्य, आदिम जनजाति विकास प्राधिकार, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।
5. सभी जिला अध्यक्ष, आदिम जनजाति विकास समिति झारखण्ड प्रदेश।

झारखण्ड सरकार के पदाधिकारी :

1. श्री प्रभात कुमार, संयुक्त सचिव सह कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी (JSAS), राँची स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार।
2. श्री अभिषेक.श्रीवास्तव, अपर कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाइटी, राँची स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार।
3. श्रीमती बी. राजेश्वरी, उपायुक्त, जिला- रामगढ़।
4. श्रीमती निधि द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक, जिला- रामगढ़।

Amir

नेशनल हेल्थ ऐजेन्सी, नई दिल्ली, भारत सरकार के पदाधिकारी

1. श्री सागर वाही, उप महाप्रबंधक (वित्त), नेशनल हेल्थ ऐजेन्सी, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2. श्री दिग्विजय संधू, यंग प्रोफेशनल, नेशनल हेल्थ ऐजेन्सी, नई दिल्ली, भारत सरकार।

नेशनल इश्योरेंस कंपनी के पदाधिकारी

1. श्री मनीष मालिक, शाखा प्रबंधक, नेशनल इश्योरेंस कंपनी, राँची, झारखण्ड।
2. श्री प्रणव कुमार, शाखा इंचार्ज, एम.डी. इण्डिया हेल्थ इश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, राँची, झारखण्ड (TPA)।

Anil